

To

BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai 400 001	National Stock Exchange of India Ltd Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C-1, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051
Scrip Code: 542752	Symbol: AFFLE

Sub: Intimation of Publication of unaudited Consolidated Financial Results for the third quarter and nine months ended December 31, 2024

Dear Sir/Madam,

This is to inform you that pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company has duly published unaudited Consolidated Financial Results for the third quarter and nine months ended December 31, 2024. Please find enclosed a copy of the advertisements published in the following newspapers on Monday, February 10, 2025.

- Financial Express (English Language National Daily Newspaper - All Editions) and
- Jansatta (Hindi Language Daily Newspaper – Delhi Edition)

Submitted for your information and records.

Thanking you,

For Affle (India) Limited



Parmita Choudhury
Company Secretary & Compliance Officer

शेंट्राकॉन केमिकल्स लिमिटेड

CIN: L24299WB1993PLC059449
 रजि. कार्यालय: एफ. किरण शंकर रॉय रोड, तीसरी मंजिल, कोलकाता - 700001
 दूरभाष: (033) 2248 9731, ईमेल: investor@shentracon.com
 वेबसाइट: www.shentracon.com

सांख्यिक सूचना यह दी जाती है कि सेबी (इंडियन सेक्टरों की डीलरिंग) विनियम, 2021 के विनियम 5 और 6 और अन्य लागू विनियमों, बंदि कोडों के, अनुसूचकों में, कंपनी के निदेशक मंडल ने सुक्रावर, 27 फरवरी, 2024 को आवेदन अपनी बैठक में, अन्य बातों के साथ-साथ, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड ("सीएसई") से कंपनी के इंडिविडुअल शेयरों को वित्तीय रूप से डीलरिंग करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
डीलरिंग का कारण:
 सीएसई को डेव लिमिटींग फीस पर आवेदन वय को घटाने के लिए, और मुख्य रूप से प्रशासनिक कार्य को कम करने और इस प्रकार संबंधित लागत को घटाने के लिए और कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड में कंपनी के इंडिविडुअल शेयरों को कोई ट्रेडिंग नहीं हुई है। सेबी (इंडिविडुअल शेयरों की डीलरिंग) विनियम, 2021 के विनियम 5 और विनियम 6 के तहत, कंपनी के इंडिविडुअल शेयरों को इंडिविडुअल सेक्टरों को कोई निकास अवरस दिए बिना सीएसई से डीलरिंग किया जा सकता है क्योंकि कंपनी के इंडिविडुअल शेयरों (बैंडर्स) में सुबूचक होते रहेंगे, जिससे देखावटी ट्रेडिंग टर्मिनल है। सीएसई से इंडिविडुअल शेयरों की डीलरिंग के बाद कंपनी की पूंजी संरचना में कोई बदलाव नहीं होगा।

कृते शेंट्राकॉन केमिकल्स लिमिटेड
 हस्ता./-
 सोम सुंदरम सैथलकुमार
 निदेशक

एक राज्य से दूसरे राज्य में एलएलपी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिये समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए निम्नानुसार

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting in any manner whatsoever.

कम्पनी रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा के समक्ष

सीमांत वित्तीय सांख्यिकी अधिनियम, 2008 की धारा 13 को उपधारा (3) तथा सीमांत वित्तीय सांख्यिकी अधिनियम, 2009 के विनियम 17 तथा सीमांत वित्तीय सांख्यिकी अधिनियम, 2008 की धारा 13(3) के मातले में

एलएलपी रजिस्ट्रार, पंजीकृत कार्यालय 46/44-14, जवा मत्त मंडल, विन्ना, उत्तर प्रदेश दिल्ली, दिल्ली, भारत, 110035 के मातले में

एलएलपी रजिस्ट्रार, पंजीकृत कार्यालय 46/44-14, जवा मत्त मंडल, विन्ना, उत्तर प्रदेश दिल्ली, दिल्ली, भारत, 110035 के मातले में

एलएलपी रजिस्ट्रार, पंजीकृत कार्यालय 46/44-14, जवा मत्त मंडल, विन्ना, उत्तर प्रदेश दिल्ली, दिल्ली, भारत, 110035 के मातले में

कृते एच के लिये एलएलपी रजिस्ट्रार, पंजीकृत कार्यालय 46/44-14, जवा मत्त मंडल, विन्ना, उत्तर प्रदेश दिल्ली, दिल्ली, भारत, 110035 के मातले में

कृते एच के लिये एलएलपी रजिस्ट्रार, पंजीकृत कार्यालय 46/44-14, जवा मत्त मंडल, विन्ना, उत्तर प्रदेश दिल्ली, दिल्ली, भारत, 110035 के मातले में

कम्पनी सरकार से पहले कम्पनी के रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और हरियाणा सीमांत वित्तीय सांख्यिकी अधिनियम, 2008 की धारा 13 की उप-धारा (3) और सीमांत वित्तीय सांख्यिकी अधिनियम, 2009 के विनियम 17 के मातले में सीमांत वित्तीय सांख्यिकी अधिनियम, 2008, धारा 13(3) के मातले में

कम्पनी सरकार से पहले कम्पनी के रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और हरियाणा सीमांत वित्तीय सांख्यिकी अधिनियम, 2008 की धारा 13 की उप-धारा (3) और सीमांत वित्तीय सांख्यिकी अधिनियम, 2009 के विनियम 17 के मातले में

कम्पनी सरकार से पहले कम्पनी के रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और हरियाणा सीमांत वित्तीय सांख्यिकी अधिनियम, 2008 की धारा 13 की उप-धारा (3) और सीमांत वित्तीय सांख्यिकी अधिनियम, 2009 के विनियम 17 के मातले में

कम्पनी सरकार से पहले कम्पनी के रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और हरियाणा सीमांत वित्तीय सांख्यिकी अधिनियम, 2008 की धारा 13 की उप-धारा (3) और सीमांत वित्तीय सांख्यिकी अधिनियम, 2009 के विनियम 17 के मातले में

कम्पनी सरकार से पहले कम्पनी के रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और हरियाणा सीमांत वित्तीय सांख्यिकी अधिनियम, 2008 की धारा 13 की उप-धारा (3) और सीमांत वित्तीय सांख्यिकी अधिनियम, 2009 के विनियम 17 के मातले में

कम्पनी सरकार से पहले कम्पनी के रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और हरियाणा सीमांत वित्तीय सांख्यिकी अधिनियम, 2008 की धारा 13 की उप-धारा (3) और सीमांत वित्तीय सांख्यिकी अधिनियम, 2009 के विनियम 17 के मातले में

कम्पनी सरकार से पहले कम्पनी के रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और हरियाणा सीमांत वित्तीय सांख्यिकी अधिनियम, 2008 की धारा 13 की उप-धारा (3) और सीमांत वित्तीय सांख्यिकी अधिनियम, 2009 के विनियम 17 के मातले में

कम्पनी सरकार से पहले कम्पनी के रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और हरियाणा सीमांत वित्तीय सांख्यिकी अधिनियम, 2008 की धारा 13 की उप-धारा (3) और सीमांत वित्तीय सांख्यिकी अधिनियम, 2009 के विनियम 17 के मातले में

कम्पनी सरकार से पहले कम्पनी के रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और हरियाणा सीमांत वित्तीय सांख्यिकी अधिनियम, 2008 की धारा 13 की उप-धारा (3) और सीमांत वित्तीय सांख्यिकी अधिनियम, 2009 के विनियम 17 के मातले में

कम्पनी सरकार से पहले कम्पनी के रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और हरियाणा सीमांत वित्तीय सांख्यिकी अधिनियम, 2008 की धारा 13 की उप-धारा (3) और सीमांत वित्तीय सांख्यिकी अधिनियम, 2009 के विनियम 17 के मातले में

कम्पनी सरकार से पहले कम्पनी के रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और हरियाणा सीमांत वित्तीय सांख्यिकी अधिनियम, 2008 की धारा 13 की उप-धारा (3) और सीमांत वित्तीय सांख्यिकी अधिनियम, 2009 के विनियम 17 के मातले में

कम्पनी सरकार से पहले कम्पनी के रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और हरियाणा सीमांत वित्तीय सांख्यिकी अधिनियम, 2008 की धारा 13 की उप-धारा (3) और सीमांत वित्तीय सांख्यिकी अधिनियम, 2009 के विनियम 17 के मातले में

कम्पनी सरकार से पहले कम्पनी के रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और हरियाणा सीमांत वित्तीय सांख्यिकी अधिनियम, 2008 की धारा 13 की उप-धारा (3) और सीमांत वित्तीय सांख्यिकी अधिनियम, 2009 के विनियम 17 के मातले में

"प्रपत्र सं. आईएनसी-26" (कंपनी निगम) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार पत्र में कंपनी का पंजीकृत कार्यालय एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन

कम्पनी सरकार से पहले कम्पनी के रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और हरियाणा सीमांत वित्तीय सांख्यिकी अधिनियम, 2008 की धारा 13 की उप-धारा (3) और सीमांत वित्तीय सांख्यिकी अधिनियम, 2009 के विनियम 17 के मातले में

कम्पनी सरकार से पहले कम्पनी के रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और हरियाणा सीमांत वित्तीय सांख्यिकी अधिनियम, 2008 की धारा 13 की उप-धारा (3) और सीमांत वित्तीय सांख्यिकी अधिनियम, 2009 के विनियम 17 के मातले में

कम्पनी सरकार से पहले कम्पनी के रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और हरियाणा सीमांत वित्तीय सांख्यिकी अधिनियम, 2008 की धारा 13 की उप-धारा (3) और सीमांत वित्तीय सांख्यिकी अधिनियम, 2009 के विनियम 17 के मातले में

कम्पनी सरकार से पहले कम्पनी के रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और हरियाणा सीमांत वित्तीय सांख्यिकी अधिनियम, 2008 की धारा 13 की उप-धारा (3) और सीमांत वित्तीय सांख्यिकी अधिनियम, 2009 के विनियम 17 के मातले में

कम्पनी सरकार से पहले कम्पनी के रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और हरियाणा सीमांत वित्तीय सांख्यिकी अधिनियम, 2008 की धारा 13 की उप-धारा (3) और सीमांत वित्तीय सांख्यिकी अधिनियम, 2009 के विनियम 17 के मातले में

कम्पनी सरकार से पहले कम्पनी के रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और हरियाणा सीमांत वित्तीय सांख्यिकी अधिनियम, 2008 की धारा 13 की उप-धारा (3) और सीमांत वित्तीय सांख्यिकी अधिनियम, 2009 के विनियम 17 के मातले में

कम्पनी सरकार से पहले कम्पनी के रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और हरियाणा सीमांत वित्तीय सांख्यिकी अधिनियम, 2008 की धारा 13 की उप-धारा (3) और सीमांत वित्तीय सांख्यिकी अधिनियम, 2009 के विनियम 17 के मातले में

कम्पनी सरकार से पहले कम्पनी के रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और हरियाणा सीमांत वित्तीय सांख्यिकी अधिनियम, 2008 की धारा 13 की उप-धारा (3) और सीमांत वित्तीय सांख्यिकी अधिनियम, 2009 के विनियम 17 के मातले में

कम्पनी सरकार से पहले कम्पनी के रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और हरियाणा सीमांत वित्तीय सांख्यिकी अधिनियम, 2008 की धारा 13 की उप-धारा (3) और सीमांत वित्तीय सांख्यिकी अधिनियम, 2009 के विनियम 17 के मातले में

कम्पनी सरकार से पहले कम्पनी के रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और हरियाणा सीमांत वित्तीय सांख्यिकी अधिनियम, 2008 की धारा 13 की उप-धारा (3) और सीमांत वित्तीय सांख्यिकी अधिनियम, 2009 के विनियम 17 के मातले में

कम्पनी सरकार से पहले कम्पनी के रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और हरियाणा सीमांत वित्तीय सांख्यिकी अधिनियम, 2008 की धारा 13 की उप-धारा (3) और सीमांत वित्तीय सांख्यिकी अधिनियम, 2009 के विनियम 17 के मातले में

कम्पनी सरकार से पहले कम्पनी के रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और हरियाणा सीमांत वित्तीय सांख्यिकी अधिनियम, 2008 की धारा 13 की उप-धारा (3) और सीमांत वित्तीय सांख्यिकी अधिनियम, 2009 के विनियम 17 के मातले में

"फार्म नं. आइएनसी-26" [कंपनी (इनकापोरेशन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार] एक राज्य से अन्य राज्य में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन हेतु समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन

कम्पनी सरकार से पहले कम्पनी के रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और हरियाणा सीमांत वित्तीय सांख्यिकी अधिनियम, 2008 की धारा 13 की उप-धारा (3) और सीमांत वित्तीय सांख्यिकी अधिनियम, 2009 के विनियम 17 के मातले में

कम्पनी सरकार से पहले कम्पनी के रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और हरियाणा सीमांत वित्तीय सांख्यिकी अधिनियम, 2008 की धारा 13 की उप-धारा (3) और सीमांत वित्तीय सांख्यिकी अधिनियम, 2009 के विनियम 17 के मातले में

कम्पनी सरकार से पहले कम्पनी के रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और हरियाणा सीमांत वित्तीय सांख्यिकी अधिनियम, 2008 की धारा 13 की उप-धारा (3) और सीमांत वित्तीय सांख्यिकी अधिनियम, 2009 के विनियम 17 के मातले में

कम्पनी सरकार से पहले कम्पनी के रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और हरियाणा सीमांत वित्तीय सांख्यिकी अधिनियम, 2008 की धारा 13 की उप-धारा (3) और सीमांत वित्तीय सांख्यिकी अधिनियम, 2009 के विनियम 17 के मातले में

कम्पनी सरकार से पहले कम्पनी के रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और हरियाणा सीमांत वित्तीय सांख्यिकी अधिनियम, 2008 की धारा 13 की उप-धारा (3) और सीमांत वित्तीय सांख्यिकी अधिनियम, 2009 के विनियम 17 के मातले में

कम्पनी सरकार से पहले कम्पनी के रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और हरियाणा सीमांत वित्तीय सांख्यिकी अधिनियम, 2008 की धारा 13 की उप-धारा (3) और सीमांत वित्तीय सांख्यिकी अधिनियम, 2009 के विनियम 17 के मातले में

कम्पनी सरकार से पहले कम्पनी के रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और हरियाणा सीमांत वित्तीय सांख्यिकी अधिनियम, 2008 की धारा 13 की उप-धारा (3) और सीमांत वित्तीय सांख्यिकी अधिनियम, 2009 के विनियम 17 के मातले में

कम्पनी सरकार से पहले कम्पनी के रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और हरियाणा सीमांत वित्तीय सांख्यिकी अधिनियम, 2008 की धारा 13 की उप-धारा (3) और सीमांत वित्तीय सांख्यिकी अधिनियम, 2009 के विनियम 17 के मातले में

कम्पनी सरकार से पहले कम्पनी के रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और हरियाणा सीमांत वित्तीय सांख्यिकी अधिनियम, 2008 की धारा 13 की उप-धारा (3) और सीमांत वित्तीय सांख्यिकी अधिनियम, 2009 के विनियम 17 के मातले में

कम्पनी सरकार से पहले कम्पनी के रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और हरियाणा सीमांत वित्तीय सांख्यिकी अधिनियम, 2008 की धारा 13 की उप-धारा (3) और सीमांत वित्तीय सांख्यिकी अधिनियम, 2009 के विनियम 17 के मातले में

कम्पनी सरकार से पहले कम्पनी के रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और हरियाणा सीमांत वित्तीय सांख्यिकी अधिनियम, 2008 की धारा 13 की उप-धारा (3) और सीमांत वित्तीय सांख्यिकी अधिनियम, 2009 के विनियम 17 के मातले में

कम्पनी सरकार से पहले कम्पनी के रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और हरियाणा सीमांत वित्तीय सांख्यिकी अधिनियम, 2008 की धारा 13 की उप-धारा (3) और सीमांत वित्तीय सांख्यिकी अधिनियम, 2009 के विनियम 17 के मातले में

affle
AFLE (INDIA) LIMITED
 Registered Office: A47 Lower Ground Floor, Hauz Khas, Off Amar Bhowan, New Delhi-110016
 (P) 0124-4598749, (W) www.affle.com, Email: compliance@affle.com, CIN: L65990DL1994PLC408172

EXTRACT OF STATEMENT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2024
 (Amount in INR million, unless otherwise stated)

Particulars	Quarter ended December 31, 2024 (Unaudited)	Nine Months ended December 31, 2024 (Unaudited)	Quarter ended December 31, 2023 (Unaudited)	Year ended March 31, 2024 (Audited)
Total income	6,225.86	17,389.12	5,088.75	19,000.15
Profit before exceptional items and tax	1,237.37	3,437.87	833.80	3,267.96
Net profit for the periods / year	1,002.23	2,788.04	768.16	2,972.63
Total comprehensive income for the periods / year	1,248.87	3,080.45	726.51	2,972.11
Paid-up equity share capital (Face value INR 2/- per equity share)	280.70	280.70	280.19	280.21
Other equity for the year	-	-	-	24,700.19
Earnings per equity share (Face value INR 2/- per equity share)				
Basic:	7.15	19.89	5.72	21.91
Diluted:	7.14	19.86	5.72	21.91

Notes:
 1. The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on February 08, 2025 and subjected to limited review by the statutory auditors of the Company.
 2. Key standalone financial information:

Particulars	Quarter ended December 31, 2024 (Unaudited)	Nine Months ended December 31, 2024 (Unaudited)	Quarter ended December 31, 2023 (Unaudited)	Year ended March 31, 2024 (Audited)
Total income	2,046.38	5,728.76	1,494.13	6,023.10
Net profit for the periods / year	292.60	846.59	185.08	759.57
Total comprehensive income for the periods / year	291.95	845.81	184.22	758.89

The above is an extract of the detailed format of the quarterly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended.
 The full format of the quarterly financial results are available to the investors on the websites of stock exchange, www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the website of the Company i.e. www.affle.com. Scan the QR Code below to view the results on the website of the Company.



Place: Gurugram
 Date: February 08, 2025

By Order of the Board
 For Affle (India) Limited
 Anuj Khanna Sohum
 Managing Director & Chief Executive Officer

6. The Acquirer and the PACs shall achieve substantial acquisition of Voting Share capital, accompanied with acquisition of management and control over the Target Company after completion of the proposed Open Offer. The main object of this acquisition is to acquire substantial Voting Shares and management control of the Target Company in compliance with the SEBI (SAST) Regulations.
 7. In line with the requirements of business and opportunities from time to time, the Acquirer and the PACs may seek the change of the name and main objects of the Target Company subject to necessary approvals.
 8. The Acquirer and the PACs may seek reconstitution of Board of Directors of the Target Company after successful completion of this Offer. However, no firm decision in this regard has been taken or proposed so far. The Acquirer shall comply with the applicable law, including obtaining the requisite approvals for change in composition of the Board of Directors.
 9. The Acquirer and the PACs may discontinue the existing line of business of the Target Company and/or may diversify business activities in future subject to prior approval/consent of the shareholders and subject to such other approvals, required if any. However, depending on the requirements and expediency of the business situation and subject to the provisions of the Companies Act, 2013, Memorandum and Articles of Association of the Target Company and all applicable laws, rules and regulations, the Board of Directors of the Target Company will take appropriate business decisions from time to time in order to improve the performance of the Target Company. The Acquirer and the PACs cannot ascertain the repercussions, if any, on the employees and locations of the business place of Target Company.

III. SHAREHOLDING AND ACQUISITION DETAILS

1. The current and proposed shareholding of the Acquirer and the PACs in the Target Company and the details of the acquisition are as follows:

Details	Acquirer	PAC 1	PAC 2	PAC 3	PAC 4	TOTAL
Particulars	No. of Equity Shares	% of Equity Shares	No. of Equity Shares	% of Equity Shares	No. of Equity Shares	% of Equity Shares
Shareholding as on the PA date	Nil	Nil	2,88,033	7.48	Nil	Nil
Shares acquired between the Public Announcement date and the DPS date	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Shareholding as on the DPS date	Nil	Nil	2,88,033	7.48	Nil	Nil
Post Offer shareholding as of 10th (tenth) Working Day after closing of the Tendering Period (assuming the Underlying Transaction is completed and assuming no Equity Shares are tendered in the Open Offer)	24,99,509	64.93	Nil	Nil	Nil	Nil
Post Offer as of the 10th (tenth) Working Day after closing of the Tendering Period (assuming the Underlying Transaction is completed and assuming full acceptance of the Open Offer)	35,00,314	90.93	Nil	Nil	Nil	Nil

2. As on the date of this DPS, the Acquirer and PACs do not hold any Equity Shares in the Target Company except PAC 1 who holds 2,88,033 Equity Shares i.e. 7.48% of the Voting Share Capital of the Target Company

IV. OFFER PRICE

1. The Equity Shares of the Target Company are currently listed and traded on BSE (Scrip Code: 521242).
 2. The trading turnover in the Equity Shares, based on the trading volumes on the BSE during the twelve calendar months preceding the month of the PA i.e., from February 2024 to January 2025 ("Relevant Period"), is as given below:

Name of the Stock Exchange	Total traded volumes during the Relevant Period ("A")	Total number of Equity Shares during the Relevant Period ("B")	Trading turnover % (A/B)
BSE	1,00,099	38,49,250	2.60%

Source: www.bseindia.com
 3. Based on above, the equity shares of the Target Company are infrequently traded on BSE within the meaning of Regulation 2(1)(j) of the SEBI (SAST) Regulations.
 4. The Acquirer and the PACs have voluntarily offered Offer Price of Rs. 25/- Rupees Twenty-Five only per Equity Share which is justified in terms of Regulations 8(1) and 8(2) of the SEBI (SAST) Regulations, being the highest of the following parameters:

Sr. No.	Particulars	Price Per Equity Share
a)	Highest Negotiated Price per equity share for any acquisition under the Agreements attracting the obligation to make the PA	Rs. 16
b)	The volume-weighted average price paid or payable for acquisition during the 52 week immediately preceding the date of the PA	Not Applicable
c)	The highest price paid or payable for any acquisition during 26 weeks period immediately preceding the date of PA	Not Applicable
d)	The volume-weighted average market price for a period of 60 trading days immediately preceding the date of PA on BSE	Not Applicable
e)	Price as determined in case of infrequently traded shares by the registered valuer*	Rs. 10*

* An extract of the report by the Registered valuer is reproduced below:

Annexure	A	Valuation of the Company using the Adjusted Net Asset Value ("NAV") method and Replacement cost ("RC") method - Cost Approach
Particulars	Reference	Unit Value
Total Assets (#)	as on 31-Dec-24	A In Lakhs 1,362.88
Total Liabilities (#)	as on 31-Dec-24	B In Lakhs 2,128.18
Net Asset Value	as on 31-Dec-24	C=A-B In Lakhs (765.30)
Less: Book value of Land & Building forming part of PPE	D	In Lakhs 982.92
Add: Fair market value of value of Land & Building forming part of PPE (#)	E	In Lakhs 1,904.77
Less: Book value of Investments	F	In Lakhs 210.99
Add: Fair market value of investments	G	In Lakhs 210.98
Adjusted Net Asset Value	H=C-D+E-F+G	In Lakhs 156.54
Equity Value	K	In Lakhs 156.54
Number of equity shares outstanding as on valuation date	L	Number in Lakhs 38,49,250
Equity value based on the NAV Method	M=K/L	INR per equity share 4.07
Face Value	L	INR per equity share 10.00
Equity value based on the Replacement Cost Method	M=L	INR per equity share 10.00
Fair Value (##)	N=Max(K,M)	INR per equity share 10.00

(#) Based on latest available Consolidated published results as on the valuation date (31.01.2025)
 (##) As per valuation report by C. Shanthaa Associates dated 27.11.2024

5. The Offer Price of Rs. 25/- (Rupees Twenty-Five Only) per Equity Share is justified in terms of Regulations 8(2) of SEBI (SAST) Regulations. The Offer Price is denominated and payable in Indian Rupees only.
 6. As on the date of this DPS, there have been no corporate actions by the Target Company warranting adjustment of any of the relevant price parameters in terms of Regulation 8(9) of the SEBI (SAST) Regulations. The Offer Price may be adjusted by the Acquirer, in consultation with the Manager, in the event of any corporate action(s) such as issuances pursuant to rights issue, bonus issue, stock consolidations, stock splits, payment of dividend, demergers, reduction of capital, etc., where the record date for effecting such corporate action(s) falls prior to the 3rd (third) Working Day before the commencement of the Tendering Period, in accordance with Regulation 8(9